

प-138/वि.अ.व.

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

कमांक प.2(11)खान/ग्रुप-1/2000

जयपुर, दिनांक 30 APR 2018

—: आदेश :-

खान एवं भूविज्ञान विभाग के भूवैज्ञानिक पद की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति दर्शाते हुए अस्थाई वरिष्ठता सूची निम्न प्रकार से निर्धारित कर जारी की जाती है। इस वरिष्ठता सूची में यदि किसी अधिकारी को आपत्ती आदि हो तो सूची जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में अपना अभ्यावेदन अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को एवं इस विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और स्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर दी जायेगी:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	जन्म दिनांक	चयन वर्ष
1.	श्री गोरधन राम उत्ता	09.05.1967	सीधी भर्ती
2.	श्री मनीष माथुर	27.09.1970	2008-2009 (पदोन्नति)
3.	श्री अखिलानन्द भार्गव	03.09.1958	2009-2010 (पदोन्नति)
4.	श्री छैल बिहारी पूबिया	16.05.1968	2010-2011 (पदोन्नति)
5.	सुश्री आशा सक्सेना	29.12.1982	सीधी भर्ती
6.	श्री मनीष शर्मा	27.02.1991	सीधी भर्ती
7.	श्री चन्द्र प्रकाश दाधीच	30.05.1981	सीधी भर्ती
8.	श्रीमती शैलबाला राठौड	24.02.1984	सीधी भर्ती
9.	श्री रवि कुमार मीणा (अ.ज.जा.)	25.10.1990	सीधी भर्ती
10.	श्री हितेश कुमार (ओ.बी.सी.)	02.02.1988	सीधी भर्ती
11.	श्री राजेन्द्र कुमार कुमावत (ओ.बी.सी.)	06.08.1985	सीधी भर्ती
12.	श्री महेश कुमार शर्मा	04.07.1986	सीधी भर्ती
13.	श्री अमित कुमार	23.04.1989	सीधी भर्ती
14.	श्री अमिताभ जगावत (ओ.बी.सी.)	26.06.1989	सीधी भर्ती
15.	श्री राज कुमार मीणा (अ.ज.जा.)	01.01.1990	सीधी भर्ती
16.	श्री रोहित कुमार मल्लाह (ओ.बी.सी.)	12.01.1982	सीधी भर्ती
17.	श्री मोहन लाल कुमावत (ओ.बी.सी.)	15.02.1989	सीधी भर्ती
18.	श्री अमित कुमार डाबी (अ.जा.)	04.04.1990	सीधी भर्ती
19.	श्री मोहन लाल राठौड (अ.जा.)	23.01.1984	सीधी भर्ती
20.	श्री प्रवीण कुमार बडगुजर (अ.जा.)	26.08.1989	सीधी भर्ती

नोट:- उक्त वरिष्ठता सूची लम्बित न्यायिक वाद यदि कोई है, के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(नसीरुद्दीन कुरैशी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर — कृपया उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची को विभागीय वेइसाईट पर अपलोड करावें/सम्बन्धित अधिकारियों को वितरित करावें।
2. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

E. Karn